अध्याय प्रथम

शोध परिचय

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :–

आधुनिक समाज में शिक्षा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा की आवश्यकता एक चुनौती है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की सफलता की पूर्ति सम्भव है, जिसमें शिक्षक वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शिक्षक का महत्व :–

भारतीय समाज में गुरू का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि वह शिक्षा के माध्यम से समाज को विकासोन्मुख बनाता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जो समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं के पूरक होते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लेकर सही मार्ग का चयन करें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर सही विकल्प का चुनाव कर सकें।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। शाला की उन्नति अथवा विकास के लिए उचित पाठ्यक्रम, श्रेष्ठ पाठ्यपुस्तकें, उत्तम शिक्षा साधन तथा उपयुक्त शालागृहों की आवश्यकता तो है ही परन्तु उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है उपयुक्त अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की। वे ही शिक्षा पद्धति को चलाते हैं। अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा पद्धति निर्जीव और निस्तेज हो जाती है। इस तथ्य को समझकर प्राचीन भारत में शिक्षकों को एक विशिष्ट

स्थान प्राप्त था, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में अध्यापकों की स्थिति सोचनीय हो गयी। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग तथा कोठारी आयोग आदि ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक दशाओं को सुधारे बिना शिक्षा का उत्तरदायित्व अपूर्ण ही रहेगा। देश के सारे शिक्षा शास्त्री, विद्वान, राजनीतिज्ञ और प्रशासक यह स्वीकार करते हैं कि देश जिस संकटकालीन दौर से गुजर रहा है, उसमें अध्यापक ही उसे सम्बल प्रदान करते हैं।

बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता हैं शिक्षक ही वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कार्य कर सकता है। विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। सम्पूर्ण विद्यालय योजनाओं को वही व्यावहारिक रूप देता है। अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति प्रभाव रहित हो जाती है, यदि शिक्षक उसे सही ढंग से प्रयोग न करें। जिस प्रकार विद्यालय जीवन में प्रधानाध्यापक मस्तिष्क के रूप में होता है, शिक्षक आत्मा स्वरूप होता है। आत्मा के बिना शरीर (विद्यालय) निर्जीव होता है। शिक्षक ही विद्यालय जीवन का गतिदाता है।

उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय जीवन में शिक्षक को अतिमहत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिक्षक को विद्यालय जीवन में ही क्यों, सम्पूर्ण समाज में अतिमहत्वपूर्ण एवं सम्मानप्रद स्थान प्राप्त है।

राष्ट्र का मार्गदर्शक :–

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक हैं। शिक्षक बौद्धिक परम्पराओं तथा तकनीकी कौशलों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का

पोषक एवं परिमार्जनकर्ता है। वह बालक का ही मार्गदर्शक नहीं वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है।

भविष्य का निर्माता :-

डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार - "वास्तव में शिक्षक हमारे भाग्य का निर्माता है। समाज अपने ही विनाश पर उनकी उपेक्षा कर सकता है।" "प्रो. हुमायूँ कबीर ने लिखा है - शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते हैं।" वे ही पुनः निर्माण की कुंजी हैं।

राष्ट्र की उन्नति में स्थान :-

अध्यापक का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी जाता है कि "एक आदमी हत्या करके एक ही जीवन का अन्त करता है, किन्तु शिक्षकगण गलत शिक्षा देकर सम्पूर्ण परिवार की हत्या करते हैं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का आहित करते हैं।" शिक्षक अपने समुचित शिक्षा से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्र की प्रगति के आधार होते हैं।

संस्कृति का पोषक :-

गारफोर्थ के शब्दों में "शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, समाज की परम्परायें नवयुवकों को ज्ञात होती हैं तथा वही नये एवं रचनात्मक उत्तरदायित्व ऊर्जायें छात्रों को सौंपता है" शिक्षक संस्कृति का परिमार्जक एवं रक्षक है।

किसी भी समाज का स्थायी विकास तभी संभव है, जब समाज के लोग विकास की प्रक्रिया में सहभागी हों। प्रदेश की बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसान हो जाता है, जब उस समस्या की सही पहचान उन लोगों के द्वारा की जाए, जिनकी वह समस्या है और उन्हें उनको हल करने के तरीकों में शामिल भी किया जाए। विकास का यही दृष्टिकोण मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा से सर्वाधिक संबंध रखता

है। यदि हमें प्रदेश के हर कोने और हर व्यक्ति को शिक्षित करना है, तो यह काम प्रदेश के लोगों के सहयोग से ही संभव है।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश के लोकतांत्रिक विकास व निर्माण के लिए समाज को शिक्षित करना नितांत आवश्यक था। जब तक हम इस काम को केवल केन्द्रीकृत व्यवस्था के जरिए करते रहे, हमें अपने उद्देश्यों में सीमित सफलता मिली और अब भी हम प्रारंभिक शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत् हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए मध्यप्रदेश जैसे राज्य में समस्याओं का आकार काफी व्यापक है। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रति प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने इस समस्या को 1996 में विकेन्द्रीकृत लोक संपर्क अभियान के माध्यम से समझने की कोशिश की। इस कोशिश में नव-निर्वाचित पंचायतों एवं समुदाय की सहभागिता थी। इस व्यापक लोक संपर्क अभियान का उद्देश्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति मालूम करना और यह पारिवारिक सर्वेक्षण करना या कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने स्कूल के बाहर हैं। सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने के संबंध में जो व्यवस्था है, उसकी वजह से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की अलग-अलग बिखरी हुई बसाहटों तक शिक्षा सुविधा की पहुंच नहीं हो सकी है। सर्वेक्षण में ऐसी 20 हजार बसाहटों की पहचान हुई।

मध्यप्रदेश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार उस गति से नहीं हो पाया, जिस गति से आपेक्षित था। शिक्षा के प्रसार की गति को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। ये कारक स्थान, समाज तथा परिस्थिति के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इन अवरोधक कारकों को दूसरे शब्दों में शिक्षा विस्तार में समस्यायें कहा जा सकता है। ये समस्यायें शिक्षा की सामग्री के निम्नलिखित चार घटकों से सम्बन्धित हो सकती हैं।

(1) बालक

(2) शिक्षक

(3) पाठ्यक्रम

(4) वातावरण

इन उपरोक्त घटकों में से यदि एक घटक में भी गड़बड़ी आ जाये तो शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। बालक के दिमाग और विषयवस्तु (पाठ्यक्रम) के बीच शिक्षक पुल का कार्य करता है। यदि पुल (शिक्षक) में समस्या या खराबी आ जाये तो बालक एवं पाठ्यक्रम का मिलन संभव नहीं है। अतः शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण घटक है।

शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया में यंत्रवत कार्य नहीं करता। शिक्षक भी समाज का एक सदस्य है तथा सामाजिक प्राणी हैं। अतः आम आदमी की तरह शिक्षक की कुछ व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकतायें होती हैं। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो शिक्षक शिक्षण कार्य में पूरी क्षमता के साथ योगदान देता रहता है। परन्तु मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ भौगोलिक असमानता तथा संसाधनों की कमी के कारण समस्यायें विकराल रूप में मौजूद हैं। जिसके कारण शिक्षा का प्रसार बाधित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण म.प्र. के अधिकतम विद्यालयों में शिक्षकों की व्याप्त कमी है।

म.प्र. शासन ने विद्यालयों व्याप्त शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये समय-समय पर अनेक योजनायें लागू की, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-

1.2 मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई परियोजनाएँ :-

(1) शिक्षाकर्मी परियोजना

(1) शिक्षाकर्मी परियोजना :-

म.प्र. शासन ने राजस्थान की तर्ज पर, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट की रूपरेखा सन् 1994 में बनाई, इसका क्रियान्वयन सन् 1996 में किया गया। निर्धारित योग्यता वाले स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिनको 30 अप्रैल को कार्यमुक्त कर दिया जाता था। बाद में सन् 1998 में शिक्षाकर्मी के स्थान पर संविदा शाला शिक्षक कर दिया गया।

संविदा शाला शिक्षक का चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है, जिसके लिये पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं :-

सारणी क्रमांक-1.1

संविदा शाला शिक्षक की पात्रता शर्तों का विवरण

क्र.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता
1.	वर्ग-1	21	33	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष।
2.	वर्ग-2	21	33	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष
3.	वर्ग-3	18	33	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष

टीप :-

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के नियमों

2. महिला अभ्यार्थियों के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष की छूट होगी।

3. जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित पंचायत के पर्यवेक्षक के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है, इन्हें उच्चतर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी।

4. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों / पर्यवेक्षकों को उनकी आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जायेगी।

5. न्यूनतम या अधिकतम आयु की गणना, रिक्त पदों के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में जायेगी।

कुछ महत्वपूर्ण शर्तें (2001) –

संविदाशाला शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति :–

1. पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।
2. पंचायत के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार केवल यात्रा–भत्तों का हकदार होगा।
3. पेंशन सम्बन्धी फायदों का हकदार नहीं होगा।
4. एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथ्य 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु किसी प्रकार के अन्य अवकाश का हकदार नहीं होगा।
5. संविदाशाला शिक्षक तथा उनके पद स्थानांतरण नहीं है।
6. मंहगाई भत्ता, गृहभाड़ा या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

7. इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यवसान, पदावधि के अवसान के पूर्व, किसी भी ओर से एक माह की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि चुकाकर किया जा सकेगा।

8. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 द्वारा शासित होगा। सेवा की कोई अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें।

9. प्रत्येक व्यक्ति से, जिसे इन नियमों के अधीन नियुक्ति दी गई है, निर्धारित प्रारूप में करार करने की अपेक्षा की जायेगी। (प्रारूप परिशिष्ट में संलग्न है।)

(2) शिक्षा गारंटी योजना :-

सन् 1996 के लोक सम्पर्क अभियान के आधार पर 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे 93वें संविधान के उद्देश्य की पूर्ति म.प्र. शिक्षा गारंटी योजना 1997 के द्वारा होती है। शिक्षा गारंटी योजना के तहत् सरकार यह गारंटी देती है कि ऐसी बसाहट, जिसके एक किलोमीटर दायरे में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां आदिवासी अंचल में 25 तथा गैर आदिवासी क्षेत्रों में 40 शाला जाने योग्य बच्चे उपलब्ध होने तथा स्थानीय समुदाय द्वारा शिक्षा सुविधा की मांग प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर शासन प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करायेगी। मांग वाजिब होने पर समुदाय की सहभागिता से 90 दिन की अवधि में शाला उपलब्ध कराकर सरकार अपनी गारंटी पूरी करती है।

शिक्षा गारंटी योजना के घटक :-

(1) 1:40 शिक्षक विद्यार्थी अनुपात में एक शिक्षक दिया जाता है, जिसे

(2) गुरूजी का प्रशिक्षण

(3) समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें।

(4) शाला संचालन के लिये शाला आकस्मिक निधि एवं पठन-पाठन सामग्री।

(5) पर्यवेक्षण।

(6) मूल्यांकन

गुरूजी के चयन की प्रक्रिया :-

गुरूजी स्थानीय व्यक्ति होगा। स्थानीय से तात्पर्य यह है कि गुरूजी उसी बसाहट का निवासी होगा, जिसमें शाला खोलने की मांग की गई है। यदि बसाहट में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो निकट के गांव से निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। गुरूजी के चयन में महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

नवीन शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला के गुरूजी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होगी। महिलाओं के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होगी।

वरीयता का आधार :-

डी.एड. तथा बी.एड. उपाधि धारकों को वरिष्ठताक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् उच्चतम शैक्षणिक योग्यताधारी उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

गुरूजी से अनुबन्ध :-

गुरूजी का चयन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है तथा गुरूजी उस समुदाय के प्रति जवाबदेह है। इसके लिये गुरूजी तथा पालक शिक्षक संघ

के अध्यक्ष के बीच एक अनुबन्ध होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट में संलग्न है।

गुरूजी का प्रशिक्षण :-

चयन के समय तीस दिन का तथा 15 दिन का आवर्ती प्रशिक्षण दिया जायेगा।

वित्तीय संचालन :-

एक शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला की अनुमानित लागत रू. 17568.75 प्रतिवर्ष है। इस लागत में 40 बच्चों के समूह के लिये एक गुरूजी का मानदेय शाला आकस्मिक निधि एवं पठन-पाठन सामग्री, गुरूजी का प्रशिक्षण और शाला चलाने के लिये अन्य आवश्यक सामग्री तथा समस्त विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित हैं।

वार्षिक इकाई की लागत का विवरण :-

• गुरूजी का मानदेय	रूपये	12000.00
• प्रशिक्षण (30 दिवस)	रूपये	1500.00
• शाला आकस्मिक निधि एवं पठन-पाठन सामग्री	रूपये	1568.75
• समस्त बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	रूपये	2500.00
कुल इकाई लागत	**रूपये**	**17568.75**

बजट प्रावधान और राशि का विवरण :-

राज्य ई.जी.एस. समिति की अनुशंसा पर शालेय शिक्षा विभगा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग (राज्य सरकार) आवश्यक धनराशि, राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध करायेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र इस राशि को जिलों को वितरित करेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उस आवंटित

राशि में से जिले के प्रत्येक शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला के लिये रूपये 1500.00 की राशि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये तथा 2500.00 रूपये पाठ्य-पुस्तकों के लिये जिले के खाते में रखेंगे। पालक शिक्षक संघ को गुरूजी के मानदेय और आकस्मिक खर्च के लिये प्रति शाला 13568.75 रूपये सौंपे जायेंगे।

1.3 वैकल्पित परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत् शिक्षकों की समस्यायें:-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा को अनवरत गति प्रदान करने तथा विद्यालयों में व्याप्त शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये चलायी जा रही परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा शाला शिक्षकों तथा गुरूजी लोगों की समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. आर्थिक समस्यायें।
2. मनो-वैज्ञानिक समस्यायें।
3. सामाजिक समस्यायें।

उपरोक्त वर्गीकरण का आधार दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में समाचार है जो पिछले साल (2004) 25 अक्टूबर से प्रदेश के 80 हजार पैरा शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के दौरान विभिन्न संस्करणों में छपी थी।

1. आर्थिक समस्यायें :-

संविदा शाला शिक्षक तथा गुरूजी को नियमित शाला शिक्षक के समान ही कार्य करना पड़ता है। जबकि दोनों के वेतनमान में काफी अन्तर है। नीचे तालिका में संविदा शाला शिक्षक तथा नियमित शिक्षक का वेतनमान

सारणी क्रमांक–1.2

वेतनमान का विवरण

क्र.	संविदा शाला शिक्षक के वेतनमान का विवरण		शासकीय कर्मचारी/शिक्षक के वेतनमान का विवरण		अन्तर
1.	–	–	भृत्य	3876/–	–
2.	वर्ग–3	2500/–	सहायक शिक्षक	6080/–	3580/–
3.	वर्ग–2	3500/–	शिक्षक	7600/–	4100/–
4.	वर्ग–1	4500/–	व्याख्याता	–	–

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि समान कार्य के बाद भी वेतनमान में काफी अन्तर है, जिसकी वजह से संविदा शाला शिक्षक तथा गुरूजी को अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर दैनिक भास्कर के रविवार 21 नवम्बर 2004 के अंक में छपी खबर के अनुसार 'आर्थिक तंगी से शिक्षाकर्मी की मौत का आरोप' नामक शीर्षक से स्पष्ट है कि समस्या कितनी व्यापक हो रही है। खबर के अनुसार इससे पहले भी दर्जनों शिक्षाकर्मी आर्थिक अभाव में मौत के शिकार हो चुके हैं। इस समाचार से संविदाशाला शिक्षकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बढ़ती महँगाई तथा उम्र के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये आर्थिक स्त्रोत अपर्याप्त है। ऐसे में निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावित होगी।

2. **मनो–वैज्ञानिक समस्यायें :–**

मनो–वैज्ञानिक समस्याओं का प्रधान स्त्रोत आर्थिक तंगी ही है। एक ही विद्यालय में काम करने वाला भृत्य संविदाशाला शिक्षक से 1736/– रू.

अधिक वेतनमान पर कार्यरत् है तथा समान कार्य करने वाले सहायक शिक्षक का वेतनमान 3580/- अधिक है। इस स्थिति में निश्चित रूप से संविदा शाला शिक्षक का मनोबल ह्रास होना परिणामसवरूप मानिसक तनाव, चिन्ता, ईर्ष्या, उत्पन्न होती है। साथ ही आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।

3. **सामाजिक समस्यायें :-**

आज का वर्तमान समाज अर्थ प्रधान समाज हो गया है। व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक आर्थिक स्तर बन चुका हैं मिलने वाले कम वेतन के कारण शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। शिक्षक का सर्वोच्च पद, प्रतिष्ठा तथा सम्मान जाता महसूस हो रहा है। संविदा शाला शिक्षक नाम शिक्षक को शिक्षक के आदर्श से दूर करता जा रहा है। अतः शिक्षा के उत्थान के लिये शिक्षक का आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठा बरकरार रखनी ही पड़ेगी।

1.4 लघु शोध की आवश्यकता एवं महत्व :-

दैनिक भास्कर के दिनांक 1 नवम्बर 2004 के अंक में **'मास्टर जी नहीं आये, कौन खोले स्कूल?'** शीर्षक के अन्तर्गत छपी खबर के अनुसार मध्यप्रदेश के 1,05,946 स्कूलों में 80,000 शिक्षाकर्मी कार्यरत है। अस्सी हजार शिक्षाकर्मी (अब संविदा शाला शिक्षक) का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान है। गतिविधियों के प्रभावपूर्ण संचालन के लिये आवश्यक है कि शिक्षक का आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक स्तर उच्च हो तथा उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हों। अन्यथा अपने पूरे मनोयोग से कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकेगा। अर्थात् शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावोत्पादक बनाने हु शिक्षक की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिये। अलग-अलग समाज तथा

स्थान की शिक्षण प्रक्रिया तथा सामाजिक संरचना भिन्न होती है। अतः शिक्षक की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का अध्ययन होना चाहिये। ताकि शिक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों से मुक्त रखा जा सकें।

प्रस्तुत लघुशोध में संविदाशाला शिक्षकों तथा गुरूजी शिक्षकों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का अध्ययन किया गया हैं। चूंकि लघुशोध की प्रकृति सीमित तथा अल्प समयी है अतः संविदा शाला शिक्षकों तथा गुरूजी शिक्षकों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के सभी पहलुओं पर प्रारूप नहीं डाला जा सका है। परन्तु यह शोध इस क्षेत्र में गहराई तथा व्यापक अनुसंधान के लिये पृष्ठभूमि तैयार करेगा। तथा अनुसंधानकर्ता को प्रेरणा प्रक्षण करेगा। तथा नीति निर्माताओं को संविदा शाला शिक्षक एवं गुरूजी की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के बारे में सोचने के लिये बाध्य करेगा।

1.5 समस्या कथन :-

म.प्र. में पैराशिक्षकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का अध्ययन।

1.6 क्रियात्मक परिभाषा :-

प्रस्तुत शोध में पैरा शिक्षकों से तात्पर्य उस शिक्षक समुदाय से है जो विभिन्न विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक तथा गुरूजी के रूप में कार्यरत है। नियमित शिक्षकों के समान कार्य करते है तथा कम वेतन एवं कम सुविधायें प्राप्त करते हैं। आगे इस शोध में संविदा शाला शिक्षक एवं गुरूजी के पैराशिक्षक कहा जायेगा।

1.7 शोध उद्देश्य :-

(1) पैराशिक्षकों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन धारित पद, कार्य प्रकृति, आहरित वेतनमान, नियमित शिक्षकों से सम्बन्ध, विद्यालय

प्रशासन, शिक्षा विभाग के नियमों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के परिप्रेक्ष्य में करना।

(2) पैरा शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन लिंग, विद्यालय प्रकार, ग्रामीण तथा शहरी, शैक्षणिक योग्यता तथ व्यावसायिक योग्यता के परिप्रक्ष्य में करना ।

(3) पैरा शिक्षकों की स्थिति तथा शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार हेतु सुझाव देना।

1.8 शोध के चर :–

जिस गुण, विशेषता या अवस्था का अध्ययन करना शोध का उद्देश्य हो, उसे चर कहते है। प्रस्तुत शोध में निम्न चरों का अध्ययन किया गया है।

स्वतंत्र चर –

साधारणतया प्रयोगकर्ता जिस कारण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है। उसे स्वतंत्र चर कहते हैं।

प्रस्तुत शोध में लिंग, विद्यालय प्रकार (शासकीय तथा अर्द्धशासकीय), शहरी तथा ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता, एवं व्यवसायिक योग्यता को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है।

आश्रित या परतंत्र चर –

स्वतंत्र चर के प्रयोग के कारण जो व्यवहार परिवर्तित होता है और जिसका अध्ययन तथा मापन किया जा सकता है उसे आश्रित चर कहते

प्रस्तुत शोध में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन, नियमित शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षा विभाग के नियम तथा सामाजिक प्रतिष्ठा आश्रित चर है।

इनको निम्नलिखित आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

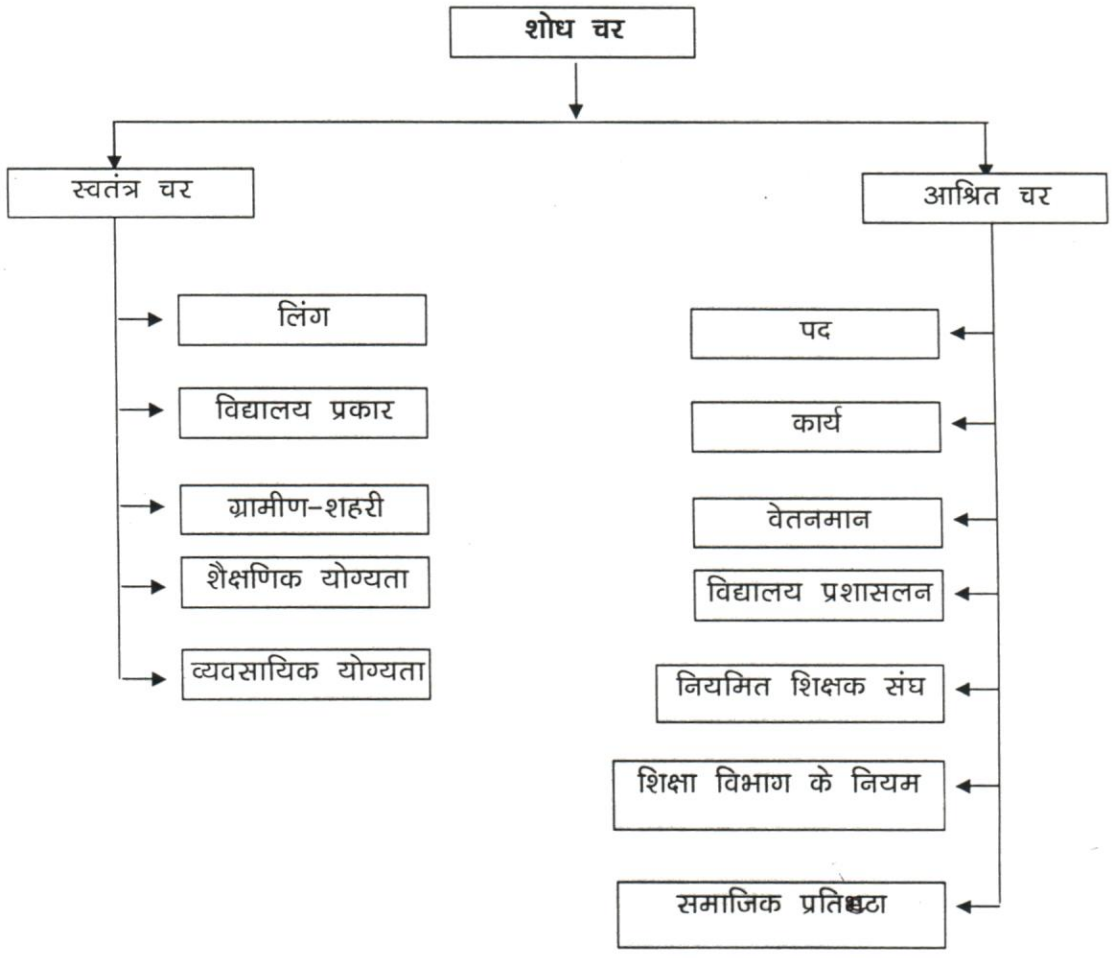

1.9 शोध प्रश्न :-

1. क्या पैराशिक्षक अपने पद से संतुष्ट हैं ?
2. क्या पैराशिक्षक अपने कार्य से संतुष्ट है ?
3. क्या पैराशिक्षक अपने वेतनमान से संतुष्ट है ?
4. क्या पैरा शिक्षक विद्यालय प्रशासन से संतुष्ट है ?
5. क्या पैरा शिक्षक नियमित शिक्षकों के व्यवहार से संतुष्ट है ?

6. क्या पैरा शिक्षक शिक्षा विभाग के नियमों से संतुष्ट है ?

7. क्या पैरा शिक्षक सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्ट है ?

8. क्या लिंग के आधार पर पैरा शिक्षकों के पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों, शिक्षा विभाग के नियमो तथा सामाजिक प्रतिष्ठा संतुष्टि में सार्थक अन्तर है।

9. क्या विद्यालय प्रकार के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?

10. क्या ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षाविभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?

11. क्या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?

12. क्या व्यवसायिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहार से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में

1.10 शोध परिकल्पनायें :-

शोध अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये समस्या के लिये शून्य परिकल्पना निर्धारित की गई । शून्य परिकल्पना का प्रयोग केवल सांख्यिकीय की सार्थकता के परीक्षण के लिये किया जाता हैं, डस प्रकार की परिकल्पना को नकारात्मक रूप से विकसित एवं चरों के सहसम्बन्ध के लिये नकारात्मक कथन लिखा जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना की विशेषता यह है कि उसके कोई सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत नहीं करना होता है।

प्रस्तुत शोध यथार्थता तथा सार्थकता की जाँच के लियें निम्नलिखित परिकल्पनाएँ की गई है-

1. लिंग के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

2. विद्यालय प्रकार के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

3. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा

4. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

5. व्यवसायिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

1.11 शोध की परिसीमाएं :-

प्रस्तुत शोध में समय तथा शोध प्रकृति को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित शोध परिकल्पनाएँ की गई है-

1. इसमें सिर्फ म.प्र. के कुल 48 जिलों में से केवल 25 जिलों को ही लिया गया है।

2. इसमें सिर्फ उन पैराशिक्षकों को लिया गया है जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कक्षाओं में अध्यापन कार्य कर रहे है।

Regional Institute of Education LIBRARY